संख्या 24/207/2014–पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
.....

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 05-08-2014

सेवा में,

श्री राजेश मोहन उप्रेती,
पुत्र स्व0 कैप्टन कवीन्द्र मोहन उप्रेती,
जगदम्बा निवास, जी.आई.सी. रोड,
पोस्ट–डिग्री कॉलेज पिथौरागढ,
उत्तराखण्ड।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

......

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके प्रथम अपील के संदर्भ में जारी आदेश दिनांक 17.07.2014 के संबंध में माँगी गई सूचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	प्रत्युत्तर
1	सुश्री परवीन ताल्हा को पदम श्री उनके सिविल सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। उनके योगदान एवं उपलब्धियों की प्रति संलग्न है।
2	वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन से सरकारी कर्मचारियों, (पी एस यु में कार्यरत सहित) की पात्रता पदम पुरस्कारों हेतू समाप्त कर दी गई थी। वर्ष 2012 में इस आदेश को संशोधित करते हुए सरकारी डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों को पदम पुरस्कारों के लिए पात्रता प्रदान कर दी गई थी। उपरोक्त निर्णय से संबंधित फाइल की नोटिंग की छायाप्रति संविधान के अनुच्छेद 74(२) के अंतर्गत प्रदान नहीं की जा सकती है तथापि भारत रत्न एवं पदम पुरस्कारों से संबंधित नियमावलियों के संकलन से संबंधित उद्धरण संलग्न है।

2. इस मामले मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा संख्या 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

श्यामला

(श्यामला मोहन)
निदेशक एवं केन्द्रिय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपिः

- अनुभाग अधिकारी(आई टी) गृह मंत्रालय को आवेदन की प्रति के साथ मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतू।